

प्रेषक-

उमेश कुमार,  
प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी,  
उत्तर प्रदेश शासन।  
सेवा में,

- 1- प्रमुख सचिव, विधायी/ संसदीय कार्य, 30प्र0 शासन।
- 2- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी विधि कोष्ठक, उच्चतम न्यायालय, तेज बिल्डिंग, 8-बी, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली।
- 3- विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 4- शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
- 5- शासकीय अधिवक्ता उच्च न्यायालय, लखनऊ।
- 6- समस्त जिलाधिकारी उत्तर प्रदेश।
- 7- विशेष सचिव न्याय अनुभाग-8 (लेखा) 30प्र0 शासन।

**न्याय अनुभाग-9(बजट)**

**लखनऊ दिनांक 04अप्रैल, 2018**

**विषय- वर्ष 2018-2019 में होने वाले संभावित बचनबद्ध व्यय के लिए स्वीकृति प्राविधान ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-2019 के लिए अनुदान संख्या- 42 के अधीन लेखाशीर्षक " 2014-न्याय प्रशासन-114- विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)- 04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता के अन्तर्गत शासनादेश संख्या- 52/2018/380/सात-न्याय-9(बजट)-2018-1(ब)/2018, दिनांक 04अप्रैल, 2018 में उल्लिखित लेखाशीर्षक " 2014-न्याय प्रशासन-आयोजनेतर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)- 04- विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता " के अधीन स्वीकृत धनराशि जिससे आप संबंधित हैं, वित्तीय वर्ष 2018-2019 में संलग्नक 'क' एवं 'ख' के अनुसार व्यय करने हेतु महामहिम श्री राज्यपाल आपके अधीन रखते हैं।

2- उक्त शासनादेश संख्या- शासनादेश संख्या- 52/2018/380/सात-न्याय-9(बजट)-2018-1(ब)/2018, दिनांक 04अप्रैल, 2018 द्वारा आवंटित धनराशि चालू वित्तीय वर्ष 2018-2019 में होने वाले व्यय के लिए है ।

3- उक्त धनराशि बजट मैनुअल के संबंधित नियमों तथा शासन के अन्य आदेश द्वारा विनियमित होगी।

4- आय-व्ययक में उक्त स्वीकृत धनराशि के समक्ष व्यय की गयी धनराशि की सूचना निर्धारित प्रारूप बी0एम0-13 में शासन के न्याय अनुभाग-8 (लेखा) को प्रत्येक माह की सूचना आगामी माह की 10 तारीख तक उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

5- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाये।

6-दिनांक 01 जनवरी,2016 से पुनरीक्षित वेतन से अवशेष के भुगतान की व्यवस्था मानक मद-52 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय) तथा सहायता प्राप्त संस्थाओं के लिए मानक मद-53 पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज सहायता) में की जा रही है । दिनांक 01 जनवरी,2016 से 31 दिसम्बर,2016 तक पुनरीक्षित वेतन के अवशेषों का भुगतान वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के दिशा निर्देशों के अनुसार किया जायेगा ।

7- आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

8- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है, अतः व्यय करते समय मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेश सं0- सी;ए; 934/दस-2008-मित-1/2008, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

9- उपर्युक्त स्वीकृति शासन के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/ बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनांक 30 मार्च ,2018 में निहित निर्देशों के अनुसार दी जा रही हैं ।

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,

( उमेश कुमार )

प्रमुख सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**संख्या-53/2018/381 (1)/सात-न्याय-9(बजट)-2018 तददिनांक**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 - महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय/आडिट, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 2 - महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/ द्वितीय, 30प्र0, इलाहाबाद।
- 3- एडवोकेट आन रिकार्ड उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली।
- 4- पे एण्ड एकाउण्ट आफिसर यू0पी0 भवन, नई दिल्ली।
- 5- समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/ कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- पुस्तकालयाध्यक्ष, विधि परामर्शी पुस्तकालय, विधान भवन लखनऊ ।
- 7- न्याय सचिव शाखा के समस्त अनुभाग ।
- 8- वित्त (ई-12) अनुभाग / वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, 2 ।
- 9- सम्बन्धित समीक्षा अधिकारी/गार्डबुक न्याय-9(बजट)।

आज्ञा से,

( राजेश प्रति त्रिपाठी )

विशेष सचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

**संख्या-53/2018/381 /सात-न्याय-9(बजट)-2018-1(ब)/2018**

**लखनऊ दिनांक 04अप्रैल, 2018 का संलग्नक 'क'**

आय-व्ययक के लेखाशीर्षक "2014- न्याय प्रशासन-आयोजनेतर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता (काउन्सिल)-04-विधि परामर्शी तथा सरकारी अधिवक्ता " के विभिन्न मानक मदों के लिए वित्तीय वर्ष 2018-2019 में व्यय के लिए स्वीकृत धनराशि का विस्तृत विवरण:-

क्रमांक	मद	(धनराशि लाख रुपये में)
1	2	3
1	<b>01 - वेतन</b>	
	(क) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का कार्यालय (अधिकारी/कर्मचारी)	1000.00
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ का कार्यालय (अधिकारी/कर्मचारी)	700.00
	(ग) अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक , उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा उनका स्टाफ	30 .00
	(घ) प्रमुख सचिव न्याय के स्टाफ में चपरासी/ चालक एवं विशेष कार्याधिकारी	20.00
	(ड) जिला सरकारी अधिवक्ता (फौजदारी का स्टाफ) के लिए संलग्नक 'ख' के अनुसार	169.50
	(च) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर न्याय -9(बजट) के माध्यम से	600.50
	<b>कुल योग- 01- वेतन</b>	<b>2520.00</b>

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

2	<b>02-मजदूरी</b>	
	(क) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	3.00
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ	3.00
	(ग) प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी के स्टाफ (डाटा इंट्री ऑपरेटर आदि) के लिए	3.00
	(घ) प्रमुख सचिव विधायी अनुभाग-1	3.00
	(ङ) अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद	1.50
	(च) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-9 (बजट) के माध्यम से)	16.50
<b>कुल योग- 02- मजदूरी</b>		<b>30.00</b>

3	<b>03- महंगाई भत्ता</b>	
	(क) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का कार्यालय (अधिकारी/कर्मचारियों के लिए)	100.00
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ का कार्यालय (अधिकारी/कर्मचारियों के लिए)	75.00
	(ग) अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा उनका स्टाफ	15.00
	(घ) प्रमुख सचिव न्याय का चपरासी/चालक/ विशेष कार्याधिकारी	10.00
	(ङ) जिला सरकारी अधिवक्ता (फौजदारी का स्टाफ) (बलरामपुर, महाराजगंज, चित्रकूट, संतकबीरनगर अम्बेडकरनगर, अमरोहा, चन्दौली, बागपत, सोनभद्र, गाजियाबाद, बलिया, बिजनौर, महोबा, मऊ, बाराबंकी, इटावा, मुजफ्फरनगर, कौशाम्बी, कन्नौज, गोण्डा, गौतमबुद्धनगर, कुशीनगर, संतरविदास नगर, श्रावस्ती, शामली, हापुड एवं सम्भल) जनपदों को छोड़कर शेष 48 जनपदों के लिए प्रति जनपद ₹0 0.50 लाख	24.00
	(च) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-9 (बजट) के माध्यम से)	28.00
<b>कुल योग- 03- महंगाई भत्ता</b>		<b>252.00</b>

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

4	<b>04-यात्रा व्यय</b>	
	(क) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लिए	0.25
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ के लिए	0.25
	(ग) विधि कोष्ठक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के लिए	0.05
	(घ) विधि कोष्ठक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लिए	0.05
	(ङ) प्रमुख सचिव न्याय के अधीन चपरासी/ चालक/विशेष कार्याधिकारी	0.05
	(च) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-9 (बजट) के माध्यम से)	3.03
<b>कुल योग- 04- यात्रा व्यय</b>		<b>3.68</b>

5	<b>05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय</b>	
	(क) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लिए	0
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ के लिए	0
	(ग) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-9 (बजट) के माध्यम से)	1.30
<b>कुल योग- 05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय</b>		<b>1.30</b>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

6	<b>06- अन्य भत्ते</b>	
	(क) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	100.00
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ	75.00
	(ग) अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक , उच्च न्यायालय इलाहाबाद	20.00
	(घ) प्रमुख सचिव न्याय का चपरासी/चालक/ विशेष कार्याधिकारी	10.00
	(ड) जिला सरकारी अधिवक्ता (फौजदारी का स्टाफ) (बलरामपुर, महाराजगंज, चित्रकूट, संतकबीरनगर अम्बेडकरनगर,अमरोहा, चन्दौली, बागपत, सोनभद्र, गाजियाबाद , बलिया, बिजनौर, महोबा, मऊ, बाराबंकी, इटावा, मुजफ्फरनगर, कौशाम्बी, कन्नौज, गोण्डा, गौतमबुद्धनगर, कुशीनगर, संतरविदास नगर, श्रावस्ती, शामली, हापुड एवं सम्भल) जनपदों को छोड़कर शेष 48 जनपदों के लिए प्रति जनपद रू0 0.50 लाख	24.00
	(च) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-9 (बजट) के माध्यम से)	23.35
	<b>कुल योग- 06- अन्य भत्ते</b>	<b>252.35</b>

7	<b>07- मानदेय</b>	
	(क)शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	0
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ	0
	(ग) अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक , उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा उनका स्टाफ	0
	(घ)प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर न्याय अनुभाग-9(बजट) के माध्यम से	0.25
	<b>कुल योग- 07- मानदेय</b>	<b>0.25</b>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

8	<b>08- कार्यालय व्यय</b>	
	(क) विधायी अनुभाग-1	0.35
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (डाक टिकट, अन्य व्यय तथा विविध व्यय हेतु)	15.00
	(ग) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ (डाक टिकट, अन्य व्यय तथा विविध व्यय हेतु)	10.00
	(घ) एडवोकेट आन रिकार्ड, नई दिल्ली के लिए	10.00
	(ङ) विधि कोष्ठक , उच्च न्यायालय इलाहाबाद	0.50
	(च) न्याय विभाग के चालकों/ विशेष कार्याधिकारी के आकस्मिक व्यय के लिए	0.70
	(छ) विधि परामर्शी पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ	1.50
	(ज) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-1 (30न्या0) के माध्यम से)	3.00
	(झ) न्याय अनुभाग- 9 (बजट) के माध्यम से	8.95
	<b>कुल योग- 08- कार्यालय व्यय</b>	<b>50.00</b>

9	<b>09- विद्युत देय</b>	
	(क) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	1.00
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ	1.00
	(ग) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-9 (बजट) के माध्यम से)	23.00
	<b>कुल योग- 09- विद्युत देय</b>	<b>25.00</b>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

10	<b>10- जलकर /जलप्रभार</b>	
	प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर न्याय-9 (बजट) के माध्यम से	0.25
	<b>कुल योग- 10- जलकर/ जलप्रभार</b>	<b>0.25</b>

11	<b>11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई</b>	
	(क) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	5.00
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ	4.00
	(ग) विधि कोष्ठक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	0.50
	(घ) विधि परामर्शी पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ	0.50
	(ङ) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-9 (बजट) के माध्यम से)	10.00
	<b>कुल योग- 11- लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई</b>	<b>20.00</b>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

12	<b>12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण</b>	
	(क) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	7.00
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ	5.00
	(ग) विधि कोष्ठक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	0.50
	(घ) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-1 (उ0न्या0) के माध्यम से)	2.00
	(ङ) प्रमुख सचिव विधायी (विधायी'1 के माध्यम से संसदीय कार्य के निमित्त आवश्यक व्यय की धनराशि को सम्मिलित करते हुए)	0.20
	(च) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-9 (बजट) के माध्यम से)	7.50
	(छ) विधि परामर्शी पुस्तकालय, विधान भवन, लखनऊ	0.15
	<b>कुल योग- 12- कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण</b>	<b>22.35</b>

13	<b>13- टेलीफोन पर व्यय</b>	
	(क) उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में शासकीय अधिवक्ताओं हेतु	3.00
	(ख) उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ में शासकीय अधिवक्ताओं हेतु	3.00
	(ग) अपर विधि परामर्शी विधि कोष्ठक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद	1.00
	(घ) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-9 (बजट) के माध्यम से)	1.00
	<b>कुल योग- 13- टेलीफोन पर व्यय</b>	<b>8.00</b>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

14	<b>14- मोटर गाडियों का क्रय</b>	
	मोटर गाडियों का क्रय	0
	<b>कुल योग- 14- मोटर गाडियों का क्रय</b>	<b>0</b>

15	<b>15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद</b>	
	(क) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-1 (30 न्या0) के माध्यम से)	6.00
	(ख) विधि कोष्ठक, 30प्र0 शासन, इलाहाबाद	1.00
	<b>कुल योग- 15- गाडियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद</b>	<b>7.00</b>

16	<b>16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान</b>	
	(क) विधि कोष्ठक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली	600.00
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	3000.00
	(ग) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ	2500.00
	(घ) जिलों में नियुक्ति शासकीय अधिवक्ताओं/न्याय मित्रों के पारिश्रमिक हेतु (जिलेवार संलग्नक "ख" के अनुसार)	4477.50
	(ड) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-9 (बजट) के माध्यम से)	4422.50
	<b>कुल योग- 16- व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान</b>	<b>15000.00</b>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

17	<b>18- प्रकाशन</b>	
	प्रकाशन	0
	<b>कुल योग- 18- प्रकाशन</b>	<b>0</b>

18	<b>26- मशीने और सज्जा /उपकरण और संयंत्र</b>	
	मशीने और सज्जा /उपकरण और संयंत्र	0
	<b>कुल योग- 26- मशीने और सज्जा /उपकरण और संयंत्र</b>	<b>0</b>

19	<b>42- अन्य व्यय</b>	
	(क) विधि कोष्ठक, उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली	0
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	0
	(ग) शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ	0
	(घ) विधि कोष्ठक, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	0.50
	(ङ) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-1 (30 न्या0) के माध्यम से)	3.00
	(च) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-9 (बजट) के माध्यम से)	6.50
	<b>कुल योग- 42- अन्य व्यय</b>	<b>10.00</b>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

20	<b>45- अवकाश यात्रा व्यय</b>	
	(क) शासकीय अधिवक्ता, कार्यालय, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (अधिकारी/कर्मचारी)	0.32
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, कार्यालय, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ (अधिकारी/कर्मचारी)	0.32
	(ग) विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी विधि कोष्ठक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद तथा उनका स्टाफ	0.22
	(घ) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-1 (30न्या0) के माध्यम से)	0.14
	(ड) जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) का स्टाफ (आशुलिपिक/ मैसेन्जर)	0
	<b>कुल योग- 45- अवकाश यात्रा व्यय</b>	<b>1.00</b>

21	<b>46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय</b>	
	(प्रमुख सचिव न्याय, अनुभाग'-9(बजट) के माध्यम से)	3.00
	<b>कुल योग- 46- कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय</b>	<b>3.00</b>

22	<b>47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय</b>	
	(प्रमुख सचिव न्याय, अनुभाग'-9(बजट) के माध्यम से)	3.00
	<b>कुल योग- 47- कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय</b>	<b>3.00</b>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

23	<b>49- चिकित्सा व्यय</b>	
	(क) विधि कोष्ठक उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली	0.10
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, कार्यालय, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	1.00
	(ग) शासकीय अधिवक्ता, कार्यालय, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ	1.00
	(घ) विधि कोष्ठक, उच्च, न्यायालय इलाहाबाद	0.50
	(ङ) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-9 (बजट) के माध्यम से)	2.40
	<b>कुल योग- 49- चिकित्सा व्यय</b>	<b>5.00</b>

24	<b>51- वर्दी व्यय</b>	
	(क) शासकीय अधिवक्ता, कार्यालय, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद (अधिकारी/कर्मचारी)	1.00
	(ख) शासकीय अधिवक्ता, कार्यालय, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ (अधिकारी/कर्मचारी)	1.00
	(ग) विशेष सचिव एवं अपर विधि परामर्शी विधि कोष्ठक, उच्च न्यायालय इलाहाबाद	0.50
	(घ) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर (न्याय-1 (30न्या0) के माध्यम से)	1.00
	<b>कुल योग- 51- वर्दी व्यय</b>	<b>3.50</b>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

25	<b>52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)</b>	
	शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद का कार्यालय (अधिकारी/कर्मचारी)	40.00
	शासकीय अधिवक्ता, उच्च न्यायालय, लखनऊ पीठ लखनऊ का कार्यालय (अधिकारी/कर्मचारी)	35.00
	अपर विधि परामर्शी, विधि कोष्ठक , उच्च न्यायालय, इलाहाबाद तथा उनका स्टाफ	15.00
	प्रमुख सचिव न्याय के स्टाफ में चपरासी/ चालक एवं विशेष कार्याधिकारी	10.00
	(ड) जिला सरकारी अधिवक्ता (फौजदारी का स्टाफ) (बलरामपुर, महराजगंज, चित्रकूट, संतकबीरनगर अम्बेडकरनगर,अमरोहा, चन्दौली, बागपत, सोनभद्र, गाजियाबाद , बलिया, बिजनौर, महोबा, मऊ, बाराबंकी, इटावा, मुजफ्फरनगर, कौशाम्बी, कन्नौज, गोण्डा, गौतमबुद्धनगर, कुशीनगर, संतरविदास नगर, श्रावस्ती, शामली, हापुड एवं सम्भल) जनपदों को छोड़कर शेष 48 जनपदों के लिए प्रति जनपद रू0 2.00 लाख	96.00
	(च) प्रमुख सचिव, न्याय एवं विधि परामर्शी के निस्तारण पर न्याय -9(बजट) के माध्यम से	34.21
	<b>कुल योग- 52 - पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)</b>	<b>230.21</b>
	<b>महायोग- (रूपये एक अरब चौरासी करोड़ सैतालीस लाख नवासी हजार मात्र )</b>	<b>18447.89</b>

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-53/2018/ 381 /सात-न्याय-9(बजट)-2018-1(ब)/2018

लखनऊ दिनांक 04अप्रैल 2018 का संलग्नक 'ख'

(धनराशि रूपये लाख में )

क्र0 सं0	जनपद का नाम	01- वेतन मद में	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में
1	2	3	4
1	अलीगढ	7.50	120.00
2	अम्बेडकर नगर	0	50.00
3	आगरा	5.50	125.00
4	आजमगढ	4.50	175.00
5	इटावा	0	30.00
6	इलाहाबाद	4.50	70.00
7	उन्नाव	5.00	30.00
8	एटा	3.00	50.00
9	औरैया	5.50	15.00
10	कन्नौज	0	70.00
11	कानपुर नगर	4.00	60.00
12	रमाबाई नगर (कानपुर देहात)	3.00	55.00
13	कौशाम्बी	0	40.00
14	गाजियाबाद	0	150.00
15	गाजीपुर	3.00	30.00
16	गोण्डा	0	50.00
17	गोरखपुर	4.00	130.00
18	गौतमबुद्ध नगर	0	25.00
19	चन्दौली	0	20.00
20	चित्रकूट	0	20.00
21	अमरोहा	0	25.00
22	जालौन	2.00	125.00
23	जौनपुर	8.00	125.00
24	झांसी	3.00	75.00
25	देवरिया	3.50	75.00
26	कुशीनगर	0	25.00
27	प्रतापगढ	2.50	50.00
28	पीलीभीत	2.50	75.00
29	फतेहपुर	5.00	125.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

30	फरूखाबाद	0	50.00
31	फिरोजाबाद	0	40.00
32	फैजाबाद	3.50	50.00
33	बदायूँ	5.00	40.00
34	बलरामपुर	0	50.00
35	बहराइच	2.50	15.00
36	बरेली	3.00	50.00
37	बलिया	0	100.00
38	बस्ती	8.00	50.00
39	बागपत	0	50.00
40	बॉदा	2.50	75.00
41	बाराबंकी	0	50.00
42	बिजनौर	0	75.00
43	बुलन्दशहर	3.50	45.00
44	संतरविदास नगर (भदोही)	0	30.00
45	मऊ	0	50.00
46	मथुरा	3.00	50.00
47	महराजगंज	0	50.00
48	महोबा	0	30.00
49	मिर्जापुर	3.00	70.00
50	मुजफ्फरनगर	0	75.00
51	मुरादाबाद	2.50	100.00
52	मेरठ	2.00	100.00
53	मैनपुरी	2.50	30.00
54	रामपुर	2.50	30.00
55	रायबरेली	2.00	120.00
56	लखनऊ	5.00	150.00
57	लखीमपुर खीरी	2.00	35.00
58	ललितपुर	2.00	30.00
59	वाराणसी	5.00	100.00
60	शाहजहाँपुर	7.00	20.00
61	श्रावस्ती	0	30.00
62	संतकबीर नगर	0	25.00
63	सहारनपुर	2.00	70.00
64	सिद्धार्थनगर	7.00	50.00
65	सीतापुर	2.00	40.00
66	सुल्तानपुर	2.00	120.00

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।

67	सोनभद्र	0	40.00
68	हमीरपुर	2.00	30.00
69	हरदोई	5.00	50.00
70	हाथरस	3.00	70.00
71	कासगंज	2.00	50.00
72	अमेठी	2.00	10.00
73	शामली	0	7.50
74	हापुड	0	50.00
75	सम्भल	0	10.00
	<b>योग-</b>	<b>169.50</b>	<b>4477.50</b>
		रूपये एक करोड़ उनहत्तर लाख पचास हजार मात्र	रूपये चौवालीस करोड़ सतहत्तर लाख पचास हजार मात्र

( उमेश कुमार )  
प्रमुख सचिव

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है ।